THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF URBAN DEVELOPMENT AND THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF WATER RESOURCES (SHRI P. K. THUNGON : (a) No, Sir.

(b) Question does not arise.

Assistance for Housing Schemes in Gujarat

211. SHRI RAJUBHAI A. PARMAR : Will the Minister of URBAN DEVELOPMENT be pleased to state :

(a) whether Government of Gujarat has submitted to the Central Government some housing schemes for clearance and financial assistance ;

(b) if so, the number of schemes approved/rejected and still pending ; and

(c) the funds so far provided to State Government for such schemes ?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF URBAN DEVELOPMENT AND THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF WATER RESOURCES (SHRI P. K. THUNGON : (a) to (c) No, Sir. Housing being a State subject, the State Governments are free to formulate their own schemes and implement them with funds from State budget and institutional finance, Goverment of India does not provide financial assistance directly to any State Government for urban housing projects.

सरकारी मकानों को किराये पर उठाया जाना

212. **श्री गोपालसिंह जी० सोलंकी** : क्या **शहरी विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि नई दिल्ली में स्थित सरकारी मकानों को प्रॉपर्टी दलालों के माध्यम से किराये पर उठाया जा रहा है;

(ख) क्या इस संबंध में कोई संवीक्षा/जांच की गई है;

(ग) यदि हां, तो सरकार द्वारा ऐसे सरकारी कर्मचारियों के विरुद्ध क्या कदम उठाए गए हैं, सरकारी मकानों को किराये पर उठाए जाने का पता लगाए गए मामलों की क्षेत्रवार संख्या कितनी-कितनी है, सरकार को अभी तक ऐसी कितनी शिकायतें प्राप्त हुई हैं;

(घ) क्या सरकार ने इस संबंध में कोई विशेष नियम तैयार किए हैं और क्या उन्होंने सूचना देने वाले व्यक्तियों को ईनाम देने का कोई प्रावधान किया है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री और जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी० के० थुंगन) : (क) सरकार के ध्यान में ऐसा कोई विशेष मामला नहीं आया है। तथापि, सरकारी वास को उप-किरायेदारी पर देने की शिकायतें समय-समय पर प्राप्त होती रहती हैं।

(ख) और (ग) विशेष शिकायतों के आधार पर उप-किरायेदारियों का पता लगाने के लिए सरकारी वास की आकस्मिक जांच आवधिक रूप से की जाती है। अपेक्षित प्रक्रिया का अनुपालन करने के पश्चात् उप-किरायादारी प्रमाणित होने पर सरकारी वास का आबंटन (दिल्ली में साधारण पूल) नियमावली, 1963 में दी गयी व्यवस्था के आधार पर आबंटियों के विरुद्ध दण्ड लगाने की कार्रवाई की जाती है। जिन सरकारी क्वार्टरों के बारे में उप-किरायेदारी का पता लगा है की इलाकेवार संख्या संलग्न विवरण में दी गई है **(नीचे देखिए)**। अब तक, सरकारी वासों को उप-किरायेदारी पर देने की लगभग 2800 शिकायतें प्राप्त हुई हैं। गत तीन वर्षों में 1836 सरकारी क्वार्टरों की जांच की गयी। 481 मामलों में उप-किरायेदारी प्रमाणित हुई जिनका आबंटन नियमों के अन्तर्गत रद्द किया गया 1315 मामलों में उप-किरायेदारी प्रमाणित नहीं हुई। शेष 48 मामलों में जांच पूरी नहीं हुई है।

(घ) और (ङ) सरकारी वास का आबंटन (दिल्ली में साधारण पूल) नियमावली, 1963 में पहले से ही इस संबंध में प्रावधान हैं। सूचना देने